

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 24.3.2020

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई 2019	319	4.63 X 4.93	7281.46
अगस्त 2019	320	4.63 X 4.93	7304.28
सितम्बर 2019	322	4.63 X 4.93	7349.93
अक्टूबर 2019	325	4.63 X 4.93	7418.41
नवम्बर 2019	328	4.63 X 4.93	7486.89
दिसम्बर 2019	330	4.63 X 4.93	7532.54
योग:-			44373.51

वर्ष 2019 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत - $44373.51 \div 6$
= 7395.58

अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- विक्रय प्रोत्साहन नियोजन
अधिसूचना संख्या-4078, 4079 तिथि-27.09.2019
गजट संख्या-1114 दिनांक-30.09.2019

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+01.10.2017+01.04.2018+01.10.2018+01.04.2019+01.10.2019 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.04.2020 से प्रभावी होगी	01.04.2020 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	217.00+4.00+4.00+7.00+2.00+11.00+9.00 =254.00	9.00	263.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	225.00+5.00+5.00+7.00+2.00+10.00+9.00 =263.00	9.00	272.00 प्रतिदिन
3	कुशल	278.00+6.00+6.00+9.00+3.00+12.00+11.00=325.00	11.00	336.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	339.00+7.00+7.00+11.00+4.00+15.00+14.00 =397.00	13.00	410.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	6277.00+126.00+128.00+196.00+67.00+299.00 +251.00=7344.00	251.00	7595.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2019 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2020 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0-1051)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक
24-3-2020
(मोहन रजक)

अवर सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक- का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-405/07 श्र0सं0- 1052)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24-3-2020
(मोहन रजक)

23rd अप्र सचिव ।

NOTIFICATION

Patna, dated- 24.3.2020

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section - 02 of the said Act.

SCHEDULE -1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2019	319	4.63 X 4.93	7281.46
August,2019	320	4.63 X 4.93	7304.28
September,2019	322	4.63 X 4.93	7349.93
October,2019	325	4.63 X 4.93	7418.41
November,2019	328	4.63 X 4.93	7486.89
Decemeber,2019	330	4.63 X 4.93	7532.54
Total			44373.51
Average :-			44373.51 ÷ 6 = 7395.58

SCHEDULE -1 (B)

1- Name of Employment :- **Sales Promotion Employment**

Notification No:- 4078, 4079 date:-27.09.2019

Gazette No. -1114 dated :-30.09.2019

SCHEDULE - II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017+ 01.04.2018+ 01.10.2018+01.04.2019+01-10-2019 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2020 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2020 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	Unskilled	217.00+4.00+4.00+7.00+2.00+11.00+9.00 =254.00	9.00	263.00 Perday
2	Semi Skilled	225.00+5.00+5.00+7.00+2.00+10.00+9.00=263.00	9.00	272.00 Perday
3	Skilled	278.00+6.00+6.00+9.00+3.00+12.00+11.00=325.00	11.00	336.00 Perday
4	Highly Skilled	339.00+7.00+7.00+11.00+4.00+15.00+14.00=397.00	13.00	410.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	6277.00+126.00+128.00+196.00+67.00+299.00+251.00 =7344.00	251.00	7595.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2019** will be payable at the aforesaid rates from **April,2020** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/M.W.- 405 /07 L&R 1051)
By the order of the Governor of Bihar.

(Mohan Rajak)

Under Secretary.

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405/07 श्र0सं0- 1052

पटना, दिनांक- 24.3.2020

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(मोहन रजक)
24-03-2020
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405/07 श्र0सं0- 1052

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/ निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मोहन रजक)
24-03-2020
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405/07 श्र0सं0- 1052

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

(मोहन रजक)
24-03-2020
अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-405/07 श्र0सं0-1052

पटना, दिनांक- 24.3.2020.

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोहन रजक)
24-03-2020
अवर सचिव ।